राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1961/2023

मंजू कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, अराजपत्रित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी (परिवार कल्याण), भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.07.2023
आदेश की दिनांक : 01.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अपील में यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित दिसम्बर, 2022 से वेतन दिया जावे एवं समस्त शेष राशि मय ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में मेल नर्स–II (नर्सिंग अधिकारी) के पद पर कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) भरतपुर में कार्यरत हैं। अपीलार्थी का आदेश दिनांक 20.12.2022 के द्वारा अपीलार्थी को स्वेच्छिक आवेदन के बिना ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बयाना के लिए कार्यमुक्त कर दिया था, जिसको चुनौती देते हुए अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 6485/2022 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा उक्त आदेश को आदेश दिनांक 03.01.2023 के द्वारा स्थगित करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया और यह भी निर्देशित किया कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे, जहां वह चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था और अपीलार्थी तब से उक्त स्थान पर कार्यरत है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को माह दिसम्बर, 2022 से वेतन नहीं

दिया गया, जो उक्त आदेश की पूर्ण रूप से पालना न करना दर्शाता है। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग का यह कृत्य मनमाना एवं दुर्भावनापूर्ण प्रकट होता है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित दिसम्बर, 2022 से वेतन दिया जावे एवं समस्त शेष राशि मय ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी मेल नर्स–ाा (नर्सिंग अधिकारी) के पद पर कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) भरतपुर में कार्यरत है तथा आदेश दिनांक 20.12.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बयाना के लिए कार्यमुक्त किये जाने पर अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 03.01.2023 के द्वारा स्थगित कर दिया गया और अपीलार्थी को उसी स्थान पदस्थापित करने के आदेश भी दिए गए थे, जिसकी पालना में अपीलार्थी को उक्त आदेश जारी होने से पूर्व जहां पर वह कार्यरत था, उसे वही पदस्थापित किया गया, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिसम्बर, 2022 से वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं जिस पदस्थापन स्थान से ली जा रही हैं। अपीलार्थी उक्त सेवाओं का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध प्रकट होता है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का वेतन कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) भरतपुर में कार्यरत स्थान से ही आहरित किया जावे तथा पूर्व का बकाया वेतन भी अपीलार्थी को प्रदान किया जावे। इस निर्देश के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य